

प्रेषक

निदेशक,
ई0एस0आई0 हैल्थ केयर,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

सेवा में,

सिविल सर्जन,
ई0एस0आई0 स्वास्थ्य संरक्षण भिवानी, फरीदाबाद, करनाल तथा गुरुग्राम।

यादि क्रमांक: 72/पी(10)-1स्था0-1-2018/
दिनांक:

विषय:- ए0सी0पी0 प्रदान करने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में निदेशालय के ध्यान में आया है कि कर्मचारियों को ए0सी0पी0 प्रदान करने के मामले निदेशालय को देय तिथि के बाद भी देरी से भेजे जाते हैं जिस कारण से कर्मचारियों को उक्त लाभ देय तिथि से प्रदान करने में अनावश्यक देरी होती है। इस सम्बंध में आपको पहले भी आदेश दिए गए थे कि ए0सी0पी0 प्रदान करने प्रस्ताव देय तिथि से 2 माह पूर्व सक्षम अधिकारी के पास भिजवाएं।

अतः आपको पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि सभी कर्मचारियों के ए0सी0पी0 प्रदान करने के लम्बित मामलों की सूची निम्नलिखित प्रफोर्मा पर भरकर निदेशालय को दिनांक 15.05.2018 तक हर हालात में भिजवाएं तथा भविष्य में ए0सी0पी0 प्रदान करने के मामलों का देय तिथि तक सक्षम अधिकारी द्वारा आवश्यक स्वीकृति प्रदान की जा सकें:-

क्र0स0	कर्मचारी का नाम/पद नाम	वर्तमान नियुक्ति स्थान	ए0सी0पी0 देय तिथि	निदेशालय को ए0सी0पी0 का प्रस्ताव भेजने की तिथि	कर्मचारियों के ए0सी0पी0 के लम्बित केसों की सूची	ए0सी0पी0 स्वीकृति का प्रस्ताव न भेजने का कारण

- 3100

चिकित्सा अधिकारी (मुख्यालय)

कृते: निदेशक ई0एस0आई0 हैल्थ केयर हरियाणा।

पृ0 क्रमांक: 72/पी(10)-1स्था0-1-2018/ 2431

दिनांक 4-5-18

इसकी एक प्रति चिकित्सा अधिकारी प्रभारी कैबिनेट शाखा को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु भेजी जाती है।

DSC

04.05.2018

02.5.2018
चिकित्सा अधिकारी (मुख्यालय)

कृते: निदेशक ई0एस0आई0 हैल्थ केयर हरियाणा।